प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला. भ्र0नि0ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर, वर्ष 2023
   प्र0इ0रि0 सं0 266/23/2023 दिनांक 6/10/2023
2. (अ) अधिनियम .....धाराये 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
   (ब) अधिनियम.....धाराये.....
   (स) अधिनियम.....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम धारायें.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....106.....समय.....7:10pm
   (ब) अपराध घटने का 'दिन वर्ष– 25.07.2023 वार मंगलवार
   (स)थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 25.07.2023
4. सूचना की किस्मः– लिखित
5. घटना स्थलः– पटवार घर, खैरथल, तहसील खैरथल, जिला अलवर, हाल जिला खैरथल–तिजारा
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–कार्यालय एसीबी,अलवर प्रथम चौकी से लगभग 36 कि0मी0 उत्तर दिशा मे
   (ब) .....
   बीट संख्या.....जरायमदेही संख्या.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना.....जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री अरूण शर्मा
   (ब) पिता/पति का नाम :– श्री किशन लाल
   (स) जन्म तिथि उम्र लगभग 34 साल
   (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय.....
   (य) पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....
   जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय... निजी कार्य
   (ल) पताः– वार्ड नं0 10, कृष्णा गली, खैरथल, जिला अलवर, हाल जिला खैरथल–तिजारा
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का पूर्ण विवरण
   श्री संदीप कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार मिश्रा, जाति ब्राहम्ण, उम्र 38 साल, निवासी वार्ड नं0 11, राज कॉलोनी, शिव आदर्श स्कूल के पास खैरथल, जिला खैरथल–तिजारा, हाल वरिष्ठ पटवारी, पटवार हल्का खैरथल–बी, तहसील खैरथल, जिला अलवर, हाल जिला खैरथल–तिजारा।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने मे विलम्ब का कारण–कोई नहीं
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियाँ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये):– 15,000 रू0 रिश्वत की मांग करना
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य–
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....नहीं.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

वाक्यात इस प्रकार है कि दिनांक 24.07.2023 को समय 06.10 पी0एम0 पर श्री पीयूष दीक्षित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर ने मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द को जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि " परिवादी श्री अरूण शर्मा पुत्र श्री किशन लाल उम्र 34 जाति पुष्करणा ब्राहमण निवासी–वार्ड नं. 10

कृष्णा गली, खैरथल जिला अलवर ने आज दिनांक 24.07.2023 को समय करीब 06.00 पी0एम0 पर अपने मोबाईल नं0 9461407120 से श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50, ए0सी0बी0 अलवर प्रथम के मोबाईल 9414857018 पर कॉल कर श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0. को अवगत करवाया कि "मेरे भाई श्री विकास ने मेरे को व मेरे पापा, मम्मी एवं भाभी ने मेरी पत्नि श्रीमति सविता कुमारी को कृषि भूमि गिफ्ट की थी जिसकी हमने माह अगस्त 2022 में हमारे नाम रजिस्ट्री करवा ली थी। उक्त जमीन की कुल पांच रजिस्ट्रीयां मेरे द्वारा हमारे हल्का पटवारी खैरथल बी, तहसील खैरथल, जिला अलवर श्री संदीप मिश्रा को मेरे व मेरी पत्नी श्रीमती सविता कुमारी के नाम से राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए दिनांक 20.08.2022 को दी गई थी। मैं उसके बाद उक्त पटवारी के पास कई बार मेरी रजिस्ट्रीयां लेने के लिए गया तो पटवारी जी ने मेरे से कहा कि अभी तेरा नामान्तरण नही खुला है। माह जून 2023 में मैंने मेरी रजिस्ट्रीयों का नामान्तरण ऑन लाईन चैक किया तो नामान्तरण खुला हुआ मिला। उसके बाद मैं पटवारी संदीप मिश्रा के पास गया व मेरी मूल रजिस्ट्रीयॉ मांगी तो पटवारी संदीप मिश्रा मेरी मूल रजिस्ट्रीयॉ मुझे वापस देने के लिए 15000/—रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है तथा उक्त पटवारी को मैं रिश्वत नही देकर उसे रिश्वत लेते हुये को ए0सी0बी0 से रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ तथा मैं ए0सी0बी0 कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। इसलिए ए0सी0बी0 का कोई अधिकारी/कर्मचारी दिनांक 25.07.2023 को प्रातः मेरे पास खैरथल आ जायेगें तो मैं उन्हे लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त पटवारी के खिलाफ रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करवा दूंगा।" श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50 ने परिवादी से हुई उक्त वार्ता के सम्बन्ध में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित को अवगत करवाया हैं। अतः आप दिनांक 25.07.2023 को खैरथल पहुंचकर परिवादी श्री अरूण शर्मा से सम्पर्क कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें।"

इस पर दिनांक 25.07.2023 को समय 07.40 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द मय श्री महेश कुमार कानि0 462 मय विभागीय लैपटॉप, प्रिन्टर, यू0पी0एस0, स्टेशनरी एवं विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर हमराह लेकर मय प्राईवेट वाहन के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार ब्यूरों कार्यालय अलवर से बजानिब खैरथल, जिला अलवर के लिये रवाना होकर समय 09.20 ए0एम0 पर कस्बा खैरथल, जिला अलवर पहुंचकर परिवादी श्री अरूण शर्मा से सम्पर्क किया तो परिवादी श्री अरूण शर्मा मन पुलिस निरीक्षक को खैरथल स्थित अग्रसेन सर्किल के पास उपस्थित मिला।

तत्पश्चात समय 09.30 ए0एम0 पर खैरथल स्थित अग्रसेन सर्किल पर मन् पुलिस निरीक्षक के सम्मुख परिवादी श्री अरूण शर्मा पुत्र श्री किशन लाल उम्र 34 जाति पुष्करणा ब्राहम्ण निवासी—वार्ड नं. 10 कृष्णा गली, खैरथल, जिला अलवर ने एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि " सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर। विषय पटवारी हल्का खैरथल—बी के पटवारी संदीप मिश्रा को रिश्वत लेते हुए पकडवाने के क्रम में। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे भाई विकास ने मुझे व मेरे पापा, मम्मी व मेरी भाभी ने मेरी पत्नी श्रीमती सविता कुमारी को जमीन गिफ्ट की थी, जिसकी माह अगस्त 2022 में हमारे नाम रजिस्टरी करवा ली थी। उक्त जमीन की कुल पॉच मूल रजिस्ट्रीयॉ मैंने, पटवारी हल्का खैरथल बी, के पटवारी श्री संदीप मिश्रा को नामान्तकरण हमारे नाम से खोलने (दर्ज करने) के लिये दिनांक 20.08.2022 को दिया था। मैं उसके बाद उक्त पटवारी के पास कई बार मेरी रजिस्ट्रीयॉ लेने गया तो पटवारी जी ने मेरे से कहा कि अभी तेरा नामान्तकरण नही खुला(दर्ज) है। माह जून 2023 में मैंने मेरी रजिस्ट्रीयों का नामान्तकरण ऑन लाईन चैक किया तो नामान्तकरण खुला हुआ मिला मैं उसके बाद पटवारी सदीप मिश्रा के पास गया व मेरी मूल रजिस्ट्रीयॉ मांगा तो पटवारी संदीप मिश्रा ने मुझे हमारी मूल रजिस्ट्रीयॉ

वापस देने के बदले में मेरे से 15000 रूपये मांगने लगा और वह कहा कि 15000 रूपये आपकी उक्त रजिस्ट्रीयों का नामान्तकरण आपके नाम(दर्ज) खोलने की एवज में तहसीलदार व कानूनगो को रूपये दिये है। अतः आप मुझे 15000 रू0 लाकर दो, उसके बाद मैं आपको आपकी पॉचों रजिस्ट्रीयॉ दे दूंगा। मैं पटवारी संदीप मिश्रा को रिश्वत राशि न देकर उसे रिश्वत लेते हुए को पकडवाना चाहता हूॅ। कृपया उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।" तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री अरूण शर्मा ने मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मेरे भाई विकास ने मुझे व मेरे पापा श्री किशन लाल, मम्मी श्रीमती चन्द्रा देवी व मेरी भाभी श्रीमती दुर्गा देवी ने मेरी पत्नी श्रीमती सविता कुमारी को अपनी जमीन गिफ्ट की थी, जिसकी हमने माह अगस्त 2022 में हमारे नाम से गिफ्टडीड रजिस्टरी करवा ली थी। उक्त जमीन की कुल 05 मूल रजिस्ट्रीयॉ मैंने, पटवारी हल्का खैरथल बी, खैरथल के पटवारी श्री संदीप मिश्रा को हमारे नाम से नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिये दिनांक 20.08.2022 को दे दिया था। मैं उसके बाद उक्त पटवारी के पास कई बार मेरी रजिस्ट्रीयॉ लेने के लिये गया तो पटवारी जी ने मेरे से कहा कि तेरा नामान्तकरण नही खुला है। माह जून 2023 में मैंने मेरी रजिस्ट्रीयों का नामान्तकरण ऑन लाईन चैक किया तो नामान्तकरण मेरे व मेरी पत्नी श्रीमति सविता कुमारी के नाम से खुला हुआ था। उसके बाद मैं पटवारी श्री सदीप मिश्रा के पास गया और मेरी मूल रजिस्ट्रीयॉ मांगी तो पटवारी संदीप मिश्रा ने मेरे से हमारी मूल रजिस्ट्रीयॉ देने के बदले में 15000 रू0 रिश्वत की मांग की और कहा कि 15000 रू0 आपकी रजिस्ट्रीयों का नामान्तकरण आपके व आपकी पत्नी के नाम खोलने की एवज में तहसीलदार व कानूनगों को रू0 दिये है। अतः आप 15000 रू0 लाकर मुझे दो, तब मैं आपको आपकी रजिस्ट्रीयॉ दूंगा। मैं पटवारी संदीप मिश्रा को रिश्वत राशि न देकर उसे रिश्वत लेते हुए को पकडवाना चाहता हूॅ। कृपया उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी श्री संदीप मिश्रा, पटवारी पटवार हल्का खैरथल–बी, तहसील खैरथल, जिला अलवर से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन–देन भी बकाया नही है। परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं के द्वारा लिखा जाना तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा दौराने पूछताछ परिवादी श्री अरूण शर्मा द्वारा अपनी पहचान स्वरूप पेश किये गये अपने आधार कार्ड की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रति को बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली किया गया।

दौराने पूछताछ परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया जाने पर उसी दिन दिनांक 25.07.2023 को श्री महेश कुमार कानि0 462 को मय विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर के परिवादी के साथ भिजवाकर जरिये विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री संदीप मिश्रा, पटवारी पटवार हल्का खैरथल–बी द्वारा की जा रही रिश्वत मांग का परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री अरूण शर्मा, ब्यूरों का विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर अपने साथ लेकर संदिग्ध आरोपी श्री संदीप मिश्रा, पटवारी पटवार हल्का खैरथल–बी के कार्यालय पटवार घर खैरथल में गया। जहॉ पर परिवादी को पटवारी श्री संदीप मिश्रा अपने कार्यालय में मौजूद मिला, जिसने परिवादी श्री अरूण शर्मा ने अपनी रजिस्ट्रीयॉ वापस देने के लिए कहा तो श्री संदीप मिश्रा पटवारी ने परिवादी श्री अरूण शर्मा से कहा कि 2000 रू0 प्रति रजिस्ट्री के हिसाब से 10000 रू0 तो तहसीलदार ने लिये है और 1000 रू0 प्रति रजिस्ट्री के हिसाब से 5000 रू0 कानूनगो जी ने लिये है। इसलिये आपको 15000 रू0 तो यह देने ही पडेगे ये 15000 रू0 रिश्वत के मैंने अपनी जेब से दिये है और इसके अलावा उपर के जो भी पैसे आपके काम के खर्चा पानी के मुझे मुठ्ठी बांध कर देगा

उनको मैं रख लूंगा। आप अपनी रजिस्ट्री तो ले जाओं और ये पैसे आप मुझे दे जाना आप पर मुझे विश्वास है आपके पैसे कही भी नही जायेंगे। परिवादी श्री अरूण शर्मा व श्री संदीप मिश्रा पटवारी के मध्य रिश्वत मांग के क्रम में जो वार्ता हुई, उन सभी बातों को परिवादी श्री अरूण शर्मा द्वारा ए0सी0बी के विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसेन सर्किल खैरथल पर ही चलाकर सुना तो रिकॉर्ड वार्ता में संदिग्ध आरोपी श्री संदीप मिश्रा पटवारी द्वारा 10 हजार रू0 तहसीलदार के नाम से व 5 हजार रू0 कानूनगो के नाम से कुल 15000 रू0 रिश्वत की स्पष्ट मांग करना तथा स्वयं के लिये परिवादी को अपनी इच्छा से रिश्वत राशि देने के लिये कहना तथा परिवादी को परिवादी की मूल रजिस्ट्रीयॉ वापस देना पाया गया। इसके बाद समय 01.30 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु हमराह ब्यूरों कार्यालय अलवर चलने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री अरूण शर्मा ने बताया कि साहब आज मैं मेरी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अलवर नही चल सकता तथा मैं शीघ्रातिशीघ्र पारिवारिक परिस्थितियॉ अनुकूल होने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री अरूण शर्मा को गोपनीयता बनाये रखने एवं शीघ्र ही संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15000 रू0 अपने साथ लेकर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर मौका अग्रसेन सर्किल खैरथल से उसके घर के लिये रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान श्री महेश कुमार कानि0 के मय साजोसामान एवं रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर सहित मय प्राईवेट वाहन के खैरथल से ब्यूरों कार्यालय अलवर के लिये रवाना होकर समय 03.00 पी0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित आया। लैपटॉप प्रिन्टर, यू0पी0एस को कार्यालय में रखवाया गया तथा रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा गया।

इसके बाद दिनांक 11.09.2023 को समय 02.15 पी0एम0 पर परिवादी श्री अरूण शर्मा ए0सी0बी0 कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी श्री अरूण शर्मा ने मन पुलिस निरीक्षक को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए0सी0बी0 अलवर को सम्बोधित एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि मैंने दिनांक 25.07.2023 को खैरथल में आपको श्री संदीप मिश्रा, पटवारी पटवार हल्का खैरथल–बी, तहसील खैरथल, जिला अलवर को मेरे से रिश्वत लेते हुए पकडवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा आप द्वारा मेरे से श्री संदीप मिश्रा, पटवारी पटवार हल्का खैरथल–बी का रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया गया था। मेरे द्वारा श्री संदीप मिश्रा, पटवारी के खिलाफ ए0सी0बी0 में करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही हेतु संदिग्ध आरोपी श्री संदीप मिश्रा को उसकी मांग के अनुरूप रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15000 रू0 की मेरे से व्यवस्था नही हो पा रही थी, इसलिए मैं अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में उपस्थित नही हुआ और पटवारी से रिश्वत मांग सत्यापन की बातचीत किये हुये भी करीब डेढ माह का समय हो गया है। इसलिए वह मेरे से अब रिश्वत लेने के लिये कोई बात नही कर रहा है और उसको मेरे द्वारा करवाई जा रही ए0सी0बी0 की कार्यवाही का शक हो गया है। इसलिए आप मेरे द्वारा अब तक करवाई गई कार्यवाही पर ही श्री संदीप मिश्रा, पटवारी पटवार हल्का खैरथल–बी, तहसील खैरथल, जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। परिवादी ने यह भी बताया कि उसकी पारिवारिक परिस्थितियॉ अनुकूल नही थी इस कारण वह ब्यूरों कार्यालय में नही आ सका तथा वह आज ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित हुआ है तथा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्री संदीप मिश्रा, पटवारी पटवार हल्का खैरथल–बी, तहसील खैरथल, जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली किया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु खनिज विभाग अलवर से तलबशुदा गवाह श्री अशोक कुमार यादव कनिष्ठ सहायक एवं श्री दीपेश सैनी, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियन्ता, अलवर, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। आमदा उक्त दोनों गवाहान का परिचय कार्यालय कक्ष में मौजूद परिवादी श्री अरूण शर्मा से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री अरूण शर्मा द्वारा दिनांक 25.07.2023 को मन पुलिस निरीक्षक को खैरथल में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं आज दिनांक 11.09.2023 को ब्यूरों कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री अरूण शर्मा द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्रों पर दोनों गवाहान ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद समय 03.00 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक ने गवाह श्री अशोक कुमार यादव, कनिष्ठ सहायक व श्री दीपेश सैनी, कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री अरूण शर्मा की उपस्थिति में परिवादी श्री अरूण शर्मा व संदिग्ध आरोपी श्री संदीप मिश्रा, पटवारी पटवार हल्का, खैरथल–बी, तहसील खैरथल, जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा के मध्य दिनांक 25.07.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक से बाहर निकालकर विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा उक्त वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में परिवादी श्री अरूण शर्मा ने अपनी स्वयं की आवाज की एवं आरोपी श्री संदीप मिश्रा, पटवारी पटवार हल्का, खैरथल–बी, तहसील खैरथल, जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिपों से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों सीडीयों पर मार्क ''ए–1'', मार्क ''ए–2'' एवं मार्क ''ए–3'' अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री अरूण शर्मा के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क ''ए–1'' व मार्क ''ए–2'' को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क ''ए–1'' व मार्क ''ए–2'' अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क ''ए–3'' को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क S(एस) अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छांट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती सीडी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 11.09.2023 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात सील्डशुदा सीडी मार्क ए–1 व ए–2 एवं एसडी कार्ड मार्क S(एस) को जमा मालखाना करवाया गया। बाद कार्यवाही परिवादी श्री अरूण शर्मा एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान को आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया।

उक्तानुसार सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री संदीप कुमार, वरिष्ठ पटवारी, पटवार हल्का खैरथल–बी, तहसील खैरथल, जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा द्वारा परिवादी श्री अरूण शर्मा से दिनांक 25.07.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी की 01 गिफ्टडीड रजिस्ट्री व परिवादी की पत्नी श्रीमती सविता कुमारी की 04 गिफ्टडीड रजिस्ट्री कुल 05 रजिस्ट्रीयों का परिवादी व परिवादी की पत्नी श्रीमति सविता कुमारी के नाम से नामान्तकरण दर्ज करने एवं नामान्तकरण दर्ज करने के उपरान्त मूल रजिस्ट्रीयॉ परिवादी को वापस देने की एवज में 2000 रू0 प्रति रजिस्ट्री के हिसाब से 10000 रू0 तहसीलदार के नाम से तथा 1000 रू0 प्रति रजिस्ट्री के हिसाब से कानूनगो के नाम से इस प्रकार कुल 15000 रू0 रिश्वत की मांग करना तथा अपने स्वयं के लिये रिश्वत राशि अपनी इच्छा से मुठ्ठी बन्द करके देने के लिए परिवादी को कहना एवं उक्त रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए सहमत होकर रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होने का श्री संदीप कुमार, वरिष्ठ पटवारी, पटवार हल्का खैरथल–बी, तहसील खैरथल, जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है।

अतः आरोपी श्री संदीप कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार मिश्रा, जाति ब्राहम्ण, उम्र 38 साल, निवासी वार्ड नं0 11, राज कॉलोनी, शिव आदर्श स्कूल के पास खैरथल, जिला खैरथल, हाल वरिष्ठ पटवारी, पटवार हल्का खैरथल–बी, तहसील खैरथल, जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजाराके विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

(प्रेम चन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्र0नि0ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री संदीप कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार मिश्रा, पदस्थापन वरिष्ठ पटवारी, पटवार हल्का खैरथल-बी, तहसील खैरथल जिला अलवर, हाल जिला खैरथल-तिजारा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 266/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

6.10.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2897-2900 दिनांक 06.10.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. जिला कलक्टर, खैरथल-तिजारा।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

6.10.23
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।